वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

4-10(39/Hqrs.)/2023-HR-II

Dated 29.07.2024

From

**सयुंक्त सचिव (प्रशासन)**

सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख।

**विषयः-** सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों में चिन्हित अस्थायी कर्मचारी की सूचना के संबंध में।

महोदया / महोदय ,

कृपया सीएसआईआर द्वारा वर्ष 1990 और 1995 में जारी आकस्मिक कर्मचारी आमेलन योजनाओं (CSIR casual Workers Absorption Schemes) का सन्दर्भ लें, जिनमें यह अनिवार्य किया गया था कि समूह सी और डी में प्रवेश स्तर की रिक्तियों को भरने के लिए खुली भर्ती पर तब तक प्रतिबंध रहेगा जब तक कि पहले से कार्यरत लेकिन नियमितीकरण के नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले आकस्मिक कर्मचारियों को पूरी तरह से समामेलित नहीं कर लिया जाता। इस संबंध में एक पत्र संख्या 2(28)/91-ई.II दिनांक 20.05.1998 जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि ऐसी रिक्तियों को सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों को पंजीकृत डाक द्वारा पत्रों के माध्यम से इस अनुरोध के साथ अधिसूचित किया जाए कि वे इसे सभी पात्र आकस्मिक कर्मचारियों के ध्यान में लाएं और संबंधित आकस्मिक कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन वापस भेजें. इस विषय में इसके बाद एक और पत्र संख्या 4-2(28)/91-ई.II दिनांक 06.08.2002 भी जारी किया गया था।

वर्ष 2023 में गोवा में आयोजित सामान्य प्रशासनिक वार्षिक बैठक के दौरान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश प्रयोगशालाओं/संस्थानों में 1990 और 1995 की योजनाओं के अंतर्गत समाहित किए जाने के लिए कोई भी चिन्हित आकस्मिक कर्मचारी बाक़ी नहीं है, यह इच्छा व्यक्त की गई कि उपरोक्त पत्रों द्वारा जारी निर्देशों का पुनरीक्षण किया जाए. विभिन्न प्रयोगशालाओं / संस्थानों में आकस्मिक कर्मचारियों की स्थिति की पुष्टि करने के लिए, समाहित किए जाने वाले चिन्हित आकस्मिक कर्मचारियों के संबंध में जानकारी मांगने के लिए दिनांक 10.04.2023 को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में सीएसआईआर-आईआईसीबी और सीएसआईआर-एनबीआरआई के अतिरिक्त अन्य सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने सूचित किया है कि उनमें ऐसे आकस्मिक कर्मचारियों की संख्या 'शून्य' है।

अतः सीएसआईआर के दिनांक 20.05.1998 और 06.08.2002 के परिपत्रों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई यथानुसार की जाए।

भवदीया,

(पूर्णिमा अरोड़ा)
उप सचिव

**Copy to:** - 1) CSIR-आईटी सेल - CSIR पोर्टल पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
2) कार्यालय प्रति